न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी उदयभान सिंह **बनाम** सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

किस्म प्रकरण– अपील रसद प्रकरण संख्या 16/2022

जीसीएमएस संख्या 2022/150

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
11.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद उपस्थित। पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया कि उक्त अपील से संबंधित कोई आदेश जिला रसद कार्यालय मे नही है क्योकि अपीलान्ट का प्राधिकारी पत्र निलंबित अथवा निरस्त नही किया गया है। चूंकि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र वर्तमान में प्रभावी है इसलिए श्रीमान के अनुमोदन उपरान्त जिला रसद कार्यालय के आदेश क्रमांक अभियोग/2023/932 दिनांक 23.6.2023 से अपीलान्ट के प्राधिकारी पत्र संख्या 1310/2000 पर राशन सामग्री की आपूर्ति चालू कर दी गयी है। इसलिए इस अपील मे अपीलान्ट को अब अतिरिक्त राहत की आवश्यकता भी नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवदेन किया गया। स्वंय अपीलान्ट द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे अनुज्ञा पत्र पर राशन सामग्री आपूर्ति चालू हो गयी है अब मुझे इस अपील को आगे नही चलाना है। अतः अपील अपीलान्ट को नोट प्रेस मे खारिज किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद एवं वकील अपीलान्ट के कथन से हम सहमत [illegible] अपीलान्ट के निवेदन पर अपील अपीलान्ट नोट प्रेस मे खारिज [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:33 IST
Reason: SelfAttested